संख्या–1 / श्रम वि०स्था०(1) 10–22 / 2005............. / श्र०सं०

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

कामेश्वर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण (दोनों पक्ष)
श्रमायुक्त बिहार
पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषय :– **केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा, बिहार नियोजन सेवा एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के पाठ्यक्रम परिचारित करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 2931, दिनांक 01.12.17 (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाग) की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ सम्बन्धित पदाधिकारियों के बीच परिचारित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/–
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1 / श्रम वि०स्था०(1) 10–22 / 2005....30........ / पटना, दिनांक–04/01/2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट–ख

सं0सं0–2 / परी0–01(राज0)–11 / 2017–2931
बिहार सरकार
केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, पटना।

पटना, दिनांक– 01 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

संख्या 2 / परी0–01(राज0)–11 / 2017–2931 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1883 दिनांक 10.10.1961 द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या– 14393 दिनांक 15.11.2017 द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु प्रदत्त दायित्व के आलोक में सभी राजपत्रित पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों की विभागीय परीक्षाओं के लिए राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए है, जो तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होंगे :–

1. राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा संचालित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों की विभागीय परीक्षाएँ अब पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी।
2. सभी परीक्षाएँ पुस्तक सहित होगी।
3. हिन्दी की लिखित परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है।
4. हिन्दी (मौखिक) की आवश्यकता को अब समाप्त किया जाता है।
5. सभी परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत होगा तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु यह 40 प्रतिशत होगा।
6. आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा को छोड़कर, सभी प्रश्न–पत्रों के पूर्णांक 200 होंगे और सभी परीक्षाओं की अवधि तीन घंटे होगी।
7. आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा क्रमशः 4 मिनट एवं 10 मिनट की होगी जिसमें कुल अधिकतम त्रुटियाँ क्रमशः आशुलेखन में 10 प्रतिशत (अनु0जा0 / अनु0जन0 हेतु 15 प्रतिशत) एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत (अनु0जा0 / अनु0जन0 हेतु 1.7 प्रतिशत) अनुमान्य होगी।
8. भविष्य में होने वाली राजपत्रित / अराजपत्रित विभागीय परीक्षा इस नए पाठ्यक्रम के तहत् की जाएगी।
9. भविष्य में जो नई राजपत्रित सेवाएं अथवा अन्य सेवाएँ जुड़ेगी उनका पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार केन्द्रीय परीक्षा समिति को होगा। केन्द्रीय परीक्षा समिति संबंधित विभाग से विमर्शोपरान्त ऐसा कर सकेगा।
10. केन्द्रीय परीक्षा समिति को यह भी अधिकार होगा कि आने वाले समय में नए अधिनियम तथा योजनाओं को देखते हुए पाठ्यक्रमों को उत्क्रमित (upgrade) कर सके।
11. उस अंतिम अवसर के बाद भी जो राजपत्रित पदाधिकारी यदि एक भी विषय में अनुतीर्ण रह जाते हैं, तो उन्हें इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों में विभागीय परीक्षा देनी होगी।
12. इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विभागों की प्रासंगिक संवर्गीय नियमावली में विभागीय परीक्षा हेतु वर्णित नियम इस हद तक संशोधित समझे जाएगें।

प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव का कोषांग)
प्राप्ति संख्या....5891
प्रेषण तिथि....07/12/17

229

परिशिष्ट–ख

सं0सं0–2 / परी0–01(राज0)–11 / 2017–2931
बिहार सरकार
केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, पटना।

पटना, दिनांक– 01 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

संख्या 2 / परी0–01(राज0)–11 / 2017–2931 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1883 दिनांक 10.10.1961 द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या– 14393 दिनांक 15.11.2017 द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु प्रदत्त दायित्व के आलोक में सभी राजपत्रित पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों की विभागीय परीक्षाओं के लिए राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए है, जो तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होंगे :–

1. राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा संचालित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों की विभागीय परीक्षाएँ अब पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी।
2. सभी परीक्षाएँ पुस्तक सहित होगी।
3. हिन्दी की लिखित परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है।
4. हिन्दी (मौखिक) की आवश्यकता को अब समाप्त किया जाता है।
5. सभी परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु उतीर्ण अंक 50 प्रतिशत होगा तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु यह 40 प्रतिशत होगा।
6. आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा को छोड़कर, सभी प्रश्न–पत्रों के पूर्णांक 200 होंगे और सभी परीक्षाओं की अवधि तीन घंटे होगी।
7. आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा क्रमशः 4 मिनट एवं 10 मिनट की होगी जिसमें कुल अधिकतम त्रुटियाँ क्रमशः आशुलेखन में 10 प्रतिशत (अनु0जा0 / अनु0जन0 हेतु 15 प्रतिशत) एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत (अनु0जा0 / अनु0जन0 हेतु 1.7 प्रतिशत) अनुमान्य होगी।
8. भविष्य में होने वाली राजपत्रित / अराजपत्रित विभागीय परीक्षा इस नए पाठ्यक्रम के तहत् की जाएगी।
9. भविष्य में जो नई राजपत्रित सेवाएं अथवा अन्य सेवाएँ जुड़ेगी उनका पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार केन्द्रीय परीक्षा समिति को होगा। केन्द्रीय परीक्षा समिति संबंधित विभाग से विमर्शोपरान्त ऐसा कर सकेगा।
10. केन्द्रीय परीक्षा समिति को यह भी अधिकार होगा कि आने वाले समय में नए अधिनियम तथा योजनाओं को देखते हुए पाठ्यक्रमों को उत्क्रमित (upgrade) कर सके।
11. उस अंतिम अवसर के बाद भी जो राजपत्रित पदाधिकारी यदि एक भी विषय में अनुतीर्ण रह जाते हैं, तो उन्हें इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों में विभागीय परीक्षा देनी होगी।
12. इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विभागों की प्रासंगिक संवर्गीय नियमावली में विभागीय परीक्षा हेतु वर्णित नियम इस हद तक संशोधित समझे जाएगें।

प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग (प्रधान सचिव का कोषांग) प्राप्ति संख्या 5891 प्रेषण तिथि 07/12/17

13. इस नए पाठ्यक्रम में यदि किसी विभाग का कोई विशेष अधिनियम/उपनियम/नियमावली/नीति यदि नहीं है तो संबंधित विभाग वैसे अधिनियम/उपनियम/नियमावली/नीति की जानकारी देने के लिए अपने पदाधिकारियों/कर्मियों की एक दिन अथवा दो दिनों की विशेष कार्यशाला/गोष्ठी आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित करें। उक्त कार्यशाला में संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी/अराजपत्रित कर्मी को भाग लेना अनिवार्य होगा ।

14. जिन अराजपत्रित कर्मियों को विभागीय परीक्षा में "कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान (कोड – 02)" विषय की परीक्षा उतीर्ण करनी है उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1609 दिनांक 24.05.2011 के प्रावधान के तहत कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा उतीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. सेवा संवर्ग वार अब किस सेवा को कितने विषयों में विभागीय परीक्षा देनी है, वह इस प्रकार है :–

क्रमांक	सेवा संवर्ग	विषय
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. दंड विधि (कोड–03) 4. राजस्व विधि (कोड–04) 5. बिहार लोकल लॉ (कोड–05) 6. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07) 7. विकास (कोड–08)
2.	भारतीय पुलिस सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. दंड विधि (कोड–03) 4. राजस्व विधि (कोड–04) 5. बिहार लोकल लॉ (कोड–05) 6. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07)
3.	भारतीय वन सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. दंड विधि (कोड–03) 4. राजस्व विधि (कोड–04) 5. बिहार लोकल लॉ (कोड–05) 6. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07) 7. भा.व.से./बिहार वन सेवा हेतु विशेष प्रश्नपत्र (कोड–09)
4.	बिहार प्रशासनिक सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. दंड विधि (कोड–03) 4. राजस्व विधि (कोड–04) 5. बिहार लोकल लॉ (कोड–05) 6. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07) 7. विकास (कोड–08)
5.	बिहार पुलिस सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. दंड विधि (कोड–03) 4. राजस्व विधि (कोड–04) 5. बिहार लोकल लॉ (कोड–05) 6. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07)
6.	बिहार वित्त सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. बिहार लोकल लॉ (कोड–05)